

दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

दि.-०१/०९/२०२२



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल (पोचपावती)

Provisional

वार्ष क्र:

मालमत्ता क्र: १९६८ भाग क्र:

जुना गट क्र:

७?

जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै:

धारक निर्मला यादवराव चिंचघरे

मालमत्तेचे वर्णन:

निवासी

भोगवटदाराचे नाव:

दुकान / इमारतीचे नाव:

पता:

संभाजी नगर

बिल क्र.

DND13010

SNB13010

राचे विवरा	संकलित कर रु	वृक्ष कर रु	अग्रिशमन कर रु	वि. स्वच्छता कर रु / उपयोगकर्ता शुल्क	शिक्षण उपकर रु	रो. ह. उपकर रु	सास्ती दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत	दुकान गाळा आडे रु	एकूण कर रु
चक्रित मागणी रु									
चालु मागणी रु	१७७४	७४	३५	३५	४९३				२४११
एकूण मागणी रु	१७७४	७४	३५	३५	४९३				२४११

मालमत्ता धारकाची किंवा पावती घेणाऱ्याची सही

दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

दि.-०१/०९/२०२२



महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५० बंतर्गत (नमुना ४८ नियम ७७)

१ एप्रिल २०२२ ते ३१ मार्च २०२३ या वर्षाकीरीता

कराचे बिल Provisional

वार्ष क्र:

मालमत्ता क्र: १९६८ भाग क्र:

मालमत्ता धारक: श्री/श्रीमती/मै:

धारक निर्मला यादवराव चिंचघरे

भोगवटदाराचे नाव:

दुकान / इमारतीचे नाव:

जुना गट क्र:

७?

जुना मालमत्ता क्र:

मालमत्तेचे वर्णन:

निवासी

पता:

संभाजी नगर

बिल क्र.

DND13010

SNB13010

१) महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ तुमारा नगर परिषदेवा कर अधिक वार्षाच्या सुरक्षातील अवधीन १ एप्रिल रोजी देय होतो. २) महाराष्ट्र नगर परिषदा, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ कलम १५०(३) अन्वये विल दिल्यापासून १५ दिवसांचे आत विलासील संपूर्ण रक्कम भरणा केल्यास संकलित करात १ द्या समलै भिठेल. ३) महाराष्ट्र नगर परिषदा, औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ मधील (राजपत्र दि. २७०८/२०१०) अन्वये सुधारीत कलम १५०(१) अन्वये भरणा पुर्ण भरणा करण्यात २% प्रतिमाह २% प्रमाणे शास्ती आकारण्यात येईल. व कर रक्कम देंडासह भरणा करणे वंशनकारक राहील. ५) जर विल दिल्यापासून विहित सुदृढीत भरणी लाकालावधीत कराचा भरणा केला नाही किंवा (अ) कलम १६९ च्या तरतीदीनुसार अवा विलासील विल विलद अपेल केली नाही, ६) अन्वये मुख्याधिकारी यांच्या सहिते वांग (अधिपत्र) काढुन आपल्या जंगम विलासी कराची करात व ती जाहिर लिलावाड्यांदर विकुण वसुनीची पात्र असेल ६) सालमनेवावत मा. विलाधिकारी यांची पुरवे मास्ट्रेनेचे नगर परिषदेवा नाममात्र रक्कमेत आपली स्थावर मालमत्ता तात्प्रयत घेता येईल. ७) सरद देयक ३१/०९/२०२२ पर्यंत आहेत. त्यानुसार त्यानंतर कराची रक्कम अदा केली असल्यास, भरलेली रक्कम सरद विलातुक समायोजित केली जाईल. ८) सरद देयक हे सन २०२२-२३ मध्ये होणाऱ्या कर पुनर्निर्धारास (Survey) राहून देयात येत आहे. सर्वेषां बदलानुसार नवीन देयक देयात येईल. ९) टिप्प:- नगरपरिषद स्थायी निवैश २४ तुसर सन २०२२-२३ या अधिक वर्षात गाळा माझामध्ये २५% आसेली आहे.									
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--


सन २०२२-२३ करीता मागणी

कराचे विवरण	थकीत मागणी रु	चालु मागणी		वालु वसुली (असल्यास)	सन २०२२-२३ ची एकूण देय मागणी रु
		प्रथम अर्धवार्षाकी	दुसरी अर्धवार्षाकी		
संकलित कर रु	१७७४	८८७	८८७	१७७४	१७७४
वृक्ष कर रु	७४	३७	३७	७४	७४
अग्रिशमन कर रु	३५	१८	१७	३५	३५
वि. स्वच्छता कर रु / उपयोगकर्ता शुल्क	३५	१८	१७	३५	३५
शिक्षण कर रु	४९३	२४७	२४६	४९३	४९३
रो. ह. उपकर रु					
शास्ती दि. ३१/०८/२०२२ पर्यंत				९६	
दुकान गाळा आडे रु					
एकूण कर रु	२४११	१२०७	१२०४	२५०७	२४११

महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ चे कलम १५० अ (१) अन्वये या तारखेनंतर शास्तीसहीत भरावयाची रक्कम.

विवरण	सप्टें-२२	ऑक्टो-२२	नोव्हें-२२	डिसे-२२	जाने-२३	फेब्रु-२३	मार्च-२३
थकीत देय रक्कम रु							
पहिली अर्धवार्षाकी मागणी रु	१२०७	१२०७	१२०७	१२०७	२४३५	२४८३	२५३१
दुसरी अर्धवार्षाकी मागणी रु	१२०४	१२०४	१२०४	१२०४	२४३५	२४८३	२५३१
एकूण देय रक्कम रु	२४११	२४११	२४११	२४११	२४३५	२४८३	२५३१

झाडे लावा,
झाडे जगवा



स्वच्छ दौँड
सुंदर दौँड



कर विभाग प्रमुख
दौँड नगरपरिषद, दौँड जि.पुणे

मुख्याधिकारी